माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक 976-81 / 06 / एके0 / MSU / 2023–24 दिनांक: 22.08.2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतत्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कक्षोन्नति के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है, जिसे समन्वयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अध्ययनरत् छात्रों को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निम्नानुसार ही प्रोन्नत / प्रवेश दिया जायेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)

01. द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत हेतु प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भरा जाना एवं परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

स्नातक द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर)

01. तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत / प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) में लिये गये मुख्य विषय हेतु निर्धारित कुल क्रेडिट का 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है एवं प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित कुल क्रेडिट का भी 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है।
02. चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोन्नत हेतु तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भरे जाने के साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

स्नातक तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर)

01. पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत / प्रवेश हेतु निम्नलिखित दोनो शर्तों (i व ii) का पालन अनिवार्य है:–
    i. प्रथम वर्ष (प्रथम / द्वितीय सेमेस्टर) के सभी विषयों में उत्तीर्ण हो।
    ii. द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में लिये गये मुख्य विषयों हेतु निर्धारित कुल क्रेडिट का 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है एवं द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित कुल क्रेडिट का भी 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है।
02. षष्ठम् सेमेस्टर में प्रोन्नत हेतु पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरे जाने के साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त प्राविधान के आलोक में ही समस्त महाविद्यालय अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रोन्नत / प्रवेश देना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा फार्म भरे नहीं जायेगे, जिसके लिए सम्बन्धित छात्र / महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उल्लिखित व्यवस्था अनुसार ही छात्रों को कक्षोन्नति प्रदान करते हुये अगली कक्षा में प्रोन्नत / प्रवेश देना सुनिश्चित करें।
02. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित एजेन्सी को सूचित करने का कष्ट करें।
03. उपकुलसचिव।
04. प्रभारी वेबसाइट।
05. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव